

मथुरा कैंप्ट स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बडी लाइन)

संख्या : इज्जतनगर/32

जारी तिथि 24.10.2013

लागू तिथि : 05.11.2013

पुनरीक्षण तिथि :NOv-18

“बी” श्रेणी, इकहरी लाइने अन्तर्पाशित, मानक-III
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित,

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

[सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 (1), (क), (ग), 2 (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (II) देखें]

टिप्पणी - 1 संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/32 दिनांक 1.10.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत के पास हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख

सी०एस०टी०ई०/कान/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस० आई०पी०संख्या NER/ IZN/ MRT/ SIP/ 2008/VER-ZERO/1 Alt”A” पर आधारित इस स्टेशन का नियम आरेख संख्या 21 दिनांक 7.4.2008 Alt”A” दिनांक 17.10.2013 संलग्न है जिसमे काटों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित काटों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

2. स्टेशन का विवरण -

2.1 सामान्य स्थिति -

मथुरा कैंप्ट स्टेशन कासगंज जं० - मथुरा जं० मार्ग पर इकहरी बडी लाइन पर “बी” श्रेणी का स्टेशन है तथा कासगंज जं० से 102.99 किमी० तथा मथुरा जं० से 2.01 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.2 दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे -

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(i) **ब्लॉक स्टेशन -**

राया (पूर्व दिशा में) : 12.47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
मथुरा जं० (पश्चिम दिशा में) : 2.01 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(ii) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति** - इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस स्थित नहीं है।

(iii) **नान ब्लॉक स्टेशन** - कोई नहीं।

(iv) **बाहरी साइडिंग** - कोई नहीं।

2.3 **स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खंड -**

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ "ब्लाक खंड" समाप्त होता है।
मथुरा कैण्ट - राया	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 (मथुरा कैण्ट)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 (राया)
मथुराकैण्ट-मथुरा जं०	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 (मथुरा कैण्ट)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 (मथुरा जं०)

2.4 **ढलान यदि कोई हो -**

राया की ओर चैनेज 1000 से यार्ड की ओर 309 में 1 का राइजिंग ग्रेडिएन्ट है। मथुरा जं० की ओर चैनेज 764.10 से यार्ड की ओर 400 में 1 का राइजिंग ग्रेडिएन्ट है।

2.5 **अभिन्यास -**

अभिन्यास चार लाइनों का है। लाइन संख्या 1, 2 व 3 परिचालित लाइने हैं तथा लाइन संख्या 4 अपरिचालित लाइन है।

2.5.1 **परिचालित लाइनें तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :-**

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन सं० 1	733 मीटर	यात्री प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन सं० 2	686 मीटर	मेन लाइन
लाइन सं० 3	733 मीटर	यात्री प्लेटफार्म वाली लूप लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या 2 सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल की लम्बाई तक दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर लाइन के आक्यूपाइड तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

संचालन नियम संख्या इज्जत/32

मथुरा कैण्ट

(ग) अप अथवा डाउन गाडियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2 अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) -

अपरिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर मे (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या 4	120 मीटर	सैलून/इन्जीनियरिंग साइडिंग। लूप लाइन संख्या 3 से ट्रेप प्वाइंट नं० 203X द्वारा प्रथक ।

2.5.3 अभिन्यास में कोई विशेष बातें - कुछ नहीं ।

2.6 समपार फाटक - स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है -

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अर्न्तपाशित है या नहीं	संचार	गाडी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक							
355	विशेष	अप होम सिगनल सं० एस-12 तथा डाउन एडवान्स स्टार्टर के	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
356	ए	डाउन होम सिगनल सं० एस-1 तथा अप एडवान्स स्टार्टर के मध्य	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इन्जीनियरिंग समपार फाटक							
352	सी	मथुरा कैण्ट - राया के मध्य किमी० 345/0-1 पर	सडक यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
353	सी	मथुरा कैण्ट - राया के मध्य किमी० 346/3-4 पर	सडक यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

नोट - समपार फाटक के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशष्ट 'क' से "क-III" देखें ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

3 संचालन की पद्धति एवं साधन -

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों **राया** तथा **मथुरा जं०** से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति' कार्य प्रणाली लागू है -

प्रदत्त ब्लाक यंत्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला पुश बटन टाइप टोकेनलेस ब्लाक यंत्र टेलीफोन युक्त एक्सल काउन्टर के साथ राया स्टेशन के साथ समान प्रकार के ब्लाक यंत्र से सम्बद्ध ।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	---
इकहरी लाइन वाला डायडो टाइप टोकेनलेस ब्लाक यंत्र टेलीफोन युक्त एक्सल काउन्टर के साथ मथुरा जं० स्टेशन के साथ समान प्रकार के ब्लाक यंत्र से सम्बद्ध ।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	---

[सहायक नियम 14.01 (क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12, 14.13 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें]

टिप्पणी - कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही ब्लाक यंत्रों को संचालित करता है।

[सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम 14.03 एवं सामान्य तथा० सहायक नियम 14.04 देखें]

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति --

मथुरा कैण्ट स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉर्टों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

प्रदत्त सिगनल -**(क) अप आगमन सिगनल (राया से) -**

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए-12
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (जं० इंडिकेटर रहित) मेन लाइन संख्या 2 के लिए
- (iii) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (बायों जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए
- (iv) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (दौया जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 3 के लिए

(ख) अप प्रस्थान सिगलन (मथुरा जं० को)

- (i) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-4 मेन लाइन संख्या - 2 से
- (ii) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-6 लूप लाइन संख्या - 1 से
- (iii) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-8 लूप लाइन संख्या 3 से
- (iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 / अप डिस्टेन्ट सिगनल (मथुरा जं०) ब्लॉक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियंत्रित

(ग) अप कालिंग आन सिगनल संख्या - सी-10

अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है

(घ) शंट सिगनल -

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल सं० एसएच-32 कांटा संख्या 205ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	राया छोर से लाइन संख्या 1, 2, एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-26 डा० प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से मथुरा जं० छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-24 डा० प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से मथुरा जं० छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-28 डा० प्रस्थान सिगनल संख्या एस-8 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 3 से मथुरा जं० छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक या सैलून/ इन्जीनियरिंग साइडिंग में शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(ङ) डाउन आगमन सिगनल (मथुरा जं० से) -

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल (मथुरा कैण्ट) / डाउन एडवान्स स्टार्टर (मथुरा जं०) ।
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (जं० इंडिकेटर रहित) मेन लाइन संख्या 2 के लिए
- (iii) डाउन होम सिगनल सं० एस-1 (दौया जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए
- (iv) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (बायों इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 3 के लिए ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(च) **डाउन प्रस्थान सिगनल (राया को) -**

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 लाइन संख्या 1 से
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 लाइन संख्या 2 से
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 लाइन संख्या 3 से
- (iv) डाउन एडवांस स्टार्टर सिगनल संख्या एस-11 ब्लॉक यन्त्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति से नियंत्रित

(छ) **डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या : सी -3**

डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है

(ज) **शंट सिगनल -**

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-31 कांटा संख्या 201ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है ।	मथुरा जं० छोर से लाइन संख्या 1, 2 तथा 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-25 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।	लाइन संख्या 2 से राया छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-27 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।	लाइन संख्या 1 से राया छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु ।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-29 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।	लाइन संख्या 3 से राया छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु ।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-33 कांटा संख्या 203एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है ।	सैलून साइडिंग / इन्जी० साइडिंग से लाइन संख्या 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु ।

(झ) **पुनरावर्तक (रिपीटर) - कोई नहीं ।**

4.1.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं । यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है । काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त हैं ।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन इंडिकेटर दिये गये है। जँक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रुट इंगित करेगी।
- (घ) स्टेशन मास्टर, कॉटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से कॉटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेमा० अपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं EGGN बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।
- (ङ) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरे आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है। कार्यरत स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट कैंन्सीलेशन बटन EUYN के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सेकेण्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त (Free) हो जाते है।
- (च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4.1.2 स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। पैनल से कॉटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन तथा चाबी आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

4.1.3 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाबी लगी रहती है। जब तक यह चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक कॉटों, सिगनलों आदि के संचालन का कार्य विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा किन्तु कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं EGGN बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब कॉटा का लाक लाइट अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी ये बटन आपरेट करने पर परिणाम देंगे।

चाबी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों, सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अंतिम संचालन स्थिति में प्रकाशित रहेंगे।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4.1.4 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी :-

पैनल पर एक आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रूट रिलीज़ नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं ई०यू०यू०वाई०एन० (EUUYN) बटन को एक साथ दबाने पर रूट तुरन्त रिलीज़ हो जाता है तथा रूट के कॉर्टों संचालन के लिये मुक्त हो जाते हैं।

4.1.5 पुश बटन :- स्टेशन मास्टर पैनल निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है :-**4.1.6 सिगनल बटन :-**

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है उस सिगनल का बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.1.7 रूट बटन :

पैनल पर जिन लाइनों के लिए सिगनल "आफ" किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल "आफ" हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 1 व 3 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस-12 को "आफ" करने के लिये सिगनल बटन संख्या एस-12 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रूट बटन संख्या "बी" तथा लाइन सं० 3 पर स्थित रूट बटन "सी" को एक साथ दबाने पर रूट सेट हो जायेगा और सिगनल "आफ" हो जायेंगे। इसी प्रकार अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 को "आफ" करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के पश्चात सिगनल बटन संख्या एस-2 तथा रूट बटन संख्या "ई" को एक साथ दबाने पर अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 "आफ" हो जायेगा।

4.1.8 कांटा बटन -

पैनल के दोनों सिरों पर कांटों के संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए उसका पुश बटन दिया गया है। कांटे को नार्मल स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार कांटे को रिवर्स स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा आर०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। कांटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को 'कालिंग आन' सिगनल पर रिसीव करने तथा गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात कॉर्टों को नार्मल अथवा रिवर्स करने के लिए किया जायेगा।

(स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित विवरण देखें।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4.1.3 रिमाइंडर कालर -

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइंडर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिग्नल या कौटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा । इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इस बटन को संचालित नहीं करना है ।

नोट :- स्टेशन मास्टर पैनल पर लगे सभी बटनों के संचालन, उनके संकेत , सिग्नल आस्पैक्ट एवं ट्रैक सर्किट आदि के विस्तृत विवरण के लिये संलग्न सिग्नलिंग परिशिष्ट 'ख' को देखा जाय ।

4.1.4 स्थाई रूप से तालाबन्द कौटे/पृथक्कीकरण (आइसोलेशन) -इस स्टेशन पर स्थाई रूप से ताला बन्द कोई कांटा प्रदत्त नहीं है। मेन लाइन को लूप लाइनो से आइसोलेट करने के लिए तीन छोर पर सैण्ड हैम्प एवं एक छोर पर ट्रैप कांटा का प्रावधान किया गया है।

4.1.5 विद्युत चालित कौटा मशीन/क्रैन्क हैण्डिल -

4.1.5.1 मोटर संचालित कांटों की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रैक हैडिल द्वारा कांटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दो क्रैक हैडिल नियंत्रक चाभी सी०एच०-1 एवं सी०एच०-2, का प्रावधान है। स्टेशन मास्टर द्वारा क्रैक हैडिल नियंत्रक चाभी निकालने की सम्पूर्ण विधि परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 में दी गयी है ।

4.1.5.2 क्रैन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियंत्रित कांटो का विवरण निम्नवत है -

क्रैन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियंत्रित कांटो का विवरण
सी०एच० - 1	201A-201B, 202A-202B, 203 एक्स
सी०एच० - 2	204A -204B, 205A -205B

4.1.5.3 प्रत्येक समय जब क्रैन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कांटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस संबंध में इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये

क्रम सं०	क्रैक हैण्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैक हैण्डिल चाभी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैक हैण्डिल चाभी निकालने का उद्देश्य विफलताएं परीक्षण	क्रैक हैण्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैक हैण्डिल चाभी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- 4.2 **रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति –**
इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटर लॉकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस० एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसकी आवश्यकता पडने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी सौपनी चाहिये।
- 4.3 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई) –**
इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः एक IPS का प्रावधान है। जिसकी बैट्री Commercial Light/जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में IPS विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा। **(विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)**
5. **दूर संचार –** स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्नलिखित के साथ टेलीफोन प्रदत्त हैं –
- इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन ।
 - बी०एस०एन०एल० फोन ।
 - राया स्टेशन के टोकनलेस ब्लॉक यत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
 - मथुरा जं० स्टेशन के टोकनलेस ब्लॉक यत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
 - ट्रैफिक समपार संख्या 355/ विशेष के साथ टेलीफोन ।
 - ट्रैफिक समपार संख्या 356/ ए के साथ टेलीफोन ।
 - इन्जीनियरिंग समपार संख्या 352/सी(मथुरा-राया) किमी 345/0-1 के साथ टेलीफोन ।
 - इन्जीनियरिंग समपार संख्या 353 सी(मथुरा-राया) किमी 346/3-4 के साथ टेलीफोन ।
 - बी०एच०एफ० सेट 25 वाट ।
- (संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट “ख” के पैरा 10A में अंकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।)
6. **गाड़ी संचालन की प्रणाली**
गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03 (2), 8.10, 8.12, 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(1) **गाड़ियों का आगमन**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

- (क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित है लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए -

(i) **अप गाड़ियों के लिए -**

(अ) लाइन संख्या 1 पर आगमन के लिए सैण्डहैम्प तक एवं 3 पर आगमन के लिए डिरेलिंग स्विच तक या दोनो स्थितियों में अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक ।

(ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक ।

(ii) **डाउन गाड़ियों के लिए -**

(अ) लाइन संख्या 1 एवं 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक ।

(ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक ।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।

(घ) सुनिश्चित करें कि **अप** गाड़ी के आगमन की स्थिति में गेट संख्या 355 Spl पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुदेशानुसार सूचित करके गेट बन्द कर दिया गया है। इसी प्रकार **डाउन** गाड़ियों के आगमन के लिये गेट संख्या 356/A पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुदेशानुसार सूचित करके बन्द कर दिया गया है तथा सम्बन्धित गेट नियंत्रण बटन संख्या 552 व 551 को आवश्यकतानुसार दबा दिया गया है जिससे गेट संख्या 355/Spl व 356/A के बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।

(ङ) आनेवाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितियाँ जल जायेंगी।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बलितियाँ जल गई हैं जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक हैं। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आ गया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जब गाड़ी पूर्णरूपेण विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर के अन्दर आ जाये तब होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तो यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नही करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से सम्बन्धित ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।
- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद पीछे के कांटों को निर्धारित समय के अन्दर अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की दशा में दोनों ओर के कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। संचालन समाप्त होने के पश्चात कांटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
(एक्सल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5 तथा ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये सा० एवं स० नि 5.19 देखें)
- 6.1 **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य -**
गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, फाटकवाला एवं कौटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।
- 6.1.1 **प्रत्येक पारी में गाड़ी संचालन कर्मचारी**

(क) दिन की पाली		
स्टेशन मास्टर	01	निर्धारित रोस्टर में।
काटा वाला	01	निर्धारित रोस्टर में।
फाटकवाला	03	निर्धारित रोस्टर में।
(ख) रात्रि पाली		
सहायक स्टेशन मास्टर	01	निर्धारित रोस्टर में।
काटा वाला	01	निर्धारित रोस्टर में।
फाटकवाला	03	निर्धारित रोस्टर में।

(रितेश गुप्ता)

(जे०ए०आज़मी)

6.1.2 **लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र**
कार्यरत स्टेशन मास्टर गाडी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

(सामान्य नियम 3.38 (ग), 3.40 (1)(ख) एवं 8.03(2) ग (ii) देखें)

6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन -**

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली अध्याय 3 का पैरा-3003 देखें)।

6.2 **लाइन क्लीयर देने की शर्तें -**

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि -

- (क) सम्पूर्ण अन्तिम पूर्ववर्ती गाडी पूरी न आ गयी हो।
 - (ख) उक्त गाडी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
 - (ग) लाइन स्टेशन पर प्रत्याशित गाडी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
 - (घ) अप गाडी के मामले में समपार संख्या 352/C एवं 353/C पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट के परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।
- (सामान्य एवं सहायक नियम 8.03 (2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

6.2.1 **गाडी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें -**

पर्याप्त दूरी / विचलन :

सामान्य नियम 3.40 (i)(बी) के अनुसार गाडियों के आगमन की स्थिति में पर्याप्त दूरी सामान्यतः रुकने के स्थान से मापी गयी है, जैसा कि :

- (क) लाइन संख्या 1 व 3 के लिये अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 व एस-8 से
- (ख) लाइन संख्या 1 व 3 के लिये डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 एवं एस-9 से

6.2.1.1 **ब्लाक लाइन के विरुद्ध कार्टों को अन्य लाइन के लिये सैट करना -**

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रसिंग/प्रीसीडेन्स के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के कॉटे अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें।

(सहायक नियम 5.19(1)(a) (ii) (b)(ii), (2)(i)(ii)(iii), (5)(ii)(f) देखें)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.2.1.2 अवरूद्ध लाइन पर गाडी का आगमन -

जब स्टेशन पर किसी अवरूद्ध लाइन पर गाडी को प्राप्त करना हो तो सा० एवं सहा. नियम 5.09 (1)(a)(b)(c), (2)(क), (ख)(3)(a)(b)(i) के अनुसार कार्रवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का आगमन -

इस स्टेशन पर बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है ।

6.2.1.4 कामन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाडी प्रस्थान करना -

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.5 सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुये अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना - कोई नहीं ।**6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्तें -**

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाडी का आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाडी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कौंटे वॉछित लाइन के लिये सेट एवं पाशित है।
- (ग) लाइन जिस पर गाडी लेनी है सम्मुख कौंटों के आगे गाडी के सम्मुख पडने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल / सैण्ड हम्प / डेड एण्ड/डिरेलिंग स्विच तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्लीयर संकेत उपलब्ध है।
- (ड.) अप गाडियों के आगमन के लिये गेट संख्या 355Sp1 तथा डाउन गाडियों के लिये गेट संख्या 356/A को गेट अनुदेशों के अनुसार सड़क यातायात के विरूद्ध बन्द एवं पाशित होना चाहिये।

(सामान्य नियम 3.40(1)(ख)(3)(ख) सहायक नियम 3.40(i) देखें)

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व

किसी गाडी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4 गाडियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाडियों की क्रासिंग तथा गाडियों को प्राथमिकता देना

(क) इस स्टेशन पर गाडियों के एक साथ प्रवेश/प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है -

- (i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान ।
- (iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान ।
- (iv) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान ।
- (ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग प्राधिकृत है।

(सहायक नियम 5.01 (14) देखे)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन -

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के पीछे लगे एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है ।
- (ख) रुकने वाली गाड़ियों के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी का पूर्ण आगमन ट्रेन इनटेक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से रिकार्ड करायेगा। गाड़ी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मिल जाने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लोज करेगा।
(साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखे)

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान -

- जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -
- (क) संलग्न अगले ब्लॉक स्टेशन से टोकनलेस ब्लॉक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालों में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर संबंधित संकेत उपलब्ध हो तथा **डाउन** गाड़ी के मामले में गेट संख्या 355Sp1 सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है, सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन 552 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे फाटक संख्या 355Sp1 के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देगा तथा समपार संख्या 352/C व 353/C के गेटमैनों को सम्बन्धित गेट वर्किंग निर्देशों में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित कर दिया गया हो। **अप** गाड़ी के मामले में गेट संख्या 356/A सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है, सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबाये जिससे गेट बन्द होने का संकेत पैनल पर दिखायी देगा
- (ङ) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ठ) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ड) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2. प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने की शर्तें

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिधर गाड़ी को भेजना है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित साफ संकेत उपलब्ध है।
- (घ) **डाउन** गाड़ी के मामले में गेट संख्या 355Sp1 सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है, सुनिश्चित करें कि गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 552 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे फाटक संख्या 355Sp1 के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देना चाहिये तथा समपार संख्या 352/C व 353/C के गेटमैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित कर दिया गया हो। **अप** गाड़ी के मामले में गेट संख्या 356/A सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है, सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे फाटक संख्या 356/A के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देगा।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना -

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखें।)

6.7 गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन थ्रू)

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतः मेन लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के अधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 या 3 से बिना रुके नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से सीधे जा सकती है। होम तथा प्रस्थान सिगनल को आफ कर देना चाहिए। तथापि प्रस्थान सिगनल आफ संकेत तभी धारण करेगा जब सम्बन्धित ट्रैक सर्किट अप/डाउन गाड़ियों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आक्यूपाइड होकर साफ हो जाये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाय बराबर लाइनो पर किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचालन की चौकसी की जानी चाहिये। इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन कू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)

- (ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी। (साधारण नियम 5.01 (14) (iv) देखे)

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति -

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.9 लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचालन के लिये विशेष अनुदेश :

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर अवश्य संचालित किया जाये ।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर देना चाहिये । गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है । साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 देखें ।
- (घ) टोकनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय ।

7. लाइन अवरुध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है । किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा ।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुध्द हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बंध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेको में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।
- साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2. जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियों बरतें -

- (क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टैक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संगठन गति (Impact Speed) प्रति घंटा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड में, पाँच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम प्रभावी संगठन गति (Impact Speed) 2.4 किमी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।)

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

(क) होम सिगनल के अन्दर शन्टिंग :

निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-

- सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो। (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी-806 के साथ शंटिंग की चाबी दी जाय।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) होम सिगनल के बाहर शन्टिंग : निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो। (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी-806 के साथ शंटिंग चाबी दी जाय ।

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) बाह्यतम सम्मुख काँटों के अन्दर शन्टिंग :

- i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो। (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।

(ख) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग

बाह्यतम सम्मुख काँटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों। (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
 - ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
 - iii) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।
- (ग) अग्रिम प्रस्थान सिगनल से आगे होम सिगनल तक शंटिंग की अनुमति नहीं है ।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों । (पैनल पर इंडिकेशन देखकर सुनिश्चित करें)
- iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय से बाधित न हो।
- iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति के साथ शंटिंग चाबी दी जाय ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल “आफ” किये जाने के बाद नान आइसोलेटड लाइनो पर शन्टिंग की अनुमति नहीं है।

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

(क) राया की ओर होम सिगनल तक शंटिंग करते समय ट्रैफिंग गेट संख्या 355Sp1 तथा मथुरा जं० की ओर होम सिगनल तक शंटिंग करते समय गेट सं० 356/A को बन्द एवं लाक कराकर तथा इसका नियन्त्रण बटन 552, 551 को लाकड स्थिति में दबाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) शंटिंग के समय गाड़ी के गार्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

1. सामान्य पर्यवेक्षण ।
2. सही वैगनो/वाहनो को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना ।
3. यह सुनिश्चित करना कि शन्टिंग समाप्त होने के बाद वैगनो/वाहनो की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शन्टिंग की जा रही है तथा कॉटो की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना । (सहायक नियम 5.14(1) एवं 3.39(ii))
5. शन्टिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना ।

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :** सैलून/इंजीनियरिंग साइडिंग लाइन सं० 4 में शंटिंग करने के लिए परिशिष्ट ‘ख’ के पैरा 11 के मद संख्या 9 के अनुसार मार्ग सैट एवं शंट सिगनलो का आफ किया जाना सुनिश्चित करें।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लाइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो :** कुछ नहीं ।

9. असामान्य परिस्थितियों :

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया:**

(i) (अ) ट्रेन सिगनलिंग उपकराणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन / कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल फोन अथवा बी०एच०एफ० सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

(सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 से 14.22 एवं 14.25 तथा सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट ‘घ’ देखे ।)

(ii) (ब) ब्लाक टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा बी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2. (अ) नियंत्रक कि माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल० फोन से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहां से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाडियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाडियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।
2. (ब) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेना/देना -
- वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेने/देने के समय निम्न निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
- (अ) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर माँगने वाला स्टेशन मास्टर पिछली तीन गाडियों का विवरण साथ में लाइन क्लीयर लेने का समय, प्राइवेट नम्बर तथा ब्लाक खण्ड अवरूद्ध एवं साफ होने का समय बतायेगा।
- (ब) लाइन क्लीयर तभी दिया/लिया जाये जब वीएचएफ सेट की आवाज साफ हो। वीएचएफ सेट का प्रयोग न किया जाये यदि आवाज में इन्डिकेशन हो, डिस्टरबेन्स हो, या कम आवाज सुनाई पड रही हो।
- (स) जब वीएचएफ सेट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह है तो वीएचएफ सेट का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशनमास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- (द) वीएचएफ सेट पर केवल तीन गाडियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। तत्पश्चात् लाइन क्लीयर केवल खण्ड के यातयात निरीक्षक या सुपरवाइजरी एसएम या सुपरवाइजरी स्टेमा० की उपस्थिति में लाइन क्लीयर लिया/दिया जाये।
- 2 (स) लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना, असमान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाडियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।
(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 6.01, 6.02, 6.04, 6.07 से 6.11 देखे।)
3. यदि कोई मोटर चालित कौटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या कौटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी कौटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त कौटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कौटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के संबंध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कौटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परिक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी मे अंकित किया जाना चाहिये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) क्रैन्क हैण्डिल द्वारा कौंटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि -

संचालन नियम के पैरा 4.1.5 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

(ग) कौंटों, ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना -
संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 15 को देखें ।9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता -9.1.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर ।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन ।
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है ।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन अथवा वी०एस०एन०एल० फोन ।
- (ङ) नियंत्रण दूरभाष ।
- (च) वी०एच०एफ० सेट ।

9.1.2 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालन:

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये -

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा ।
- (ख) गाडी के इंजन द्वारा ।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।

टिप्पणी - संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

9.1.3. संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1-	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :-	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को आन स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2-	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाडियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाडियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2. इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार संशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाडियों के लिये संशर्त लाइन क्लीयर संदेश प्राधिकार टी/एफ 602 अपने स्टेशन से जाने वाली गाडियों के लिये लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के एडवान्स स्टार्टर को पार करने के लिये टी 369 (3 बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौपे जायेगे।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

टिप्पणी -

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रस्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा। जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी० प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी० प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

9.1.4 सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों -

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकर टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाड़िया संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति - कुछ नहीं।**9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान।**

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौपेगा।

(सहायक नियम 6.02, 6.08 (i)(ii)(iii), 6.09 (ii)(iii) (1)(2)(3) देख)

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश -

- 1) **सिकन्दराराऊ** स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगे। उपर्युक्त आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आड़ियों बिजवल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाये प्रदर्शित होंगी -

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- 2) सामान्यतः छः हरी बत्ती, दो पीली, दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियां बुझी रहती है।
 - 2.1 छः हरी बत्ती (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये) आई० पी० एस की बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर जलती है, जो कि बैटरी वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती जाती है।
 - 2.2 बैटरी वोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु आलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैटरी चार्ज की जानी चाहिये।
 - 2.3 जनरेटर न चलने की दशा में बैटरी वोल्टेज कम होने पर दोनो पीली बत्तियां बुझती है तथा आपाल कालीन जनरेटर स्टार्ट आलार्म आता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।
 - 2.4 जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये जेनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जेनरेटर हैण्डल के माध्यम से डी०जी० सेट चलाया जायेगा।
- 3) इस स्टेशन पर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता के कारणों को दूर कर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा।
 - (अ) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच "ए" जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की सरफ लगा रहेगा को जेनरेटर साइड में लगा देंगे।
 - (ब) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जेनरेटर सं० 1 एवं जनरेटर सं० 2 लगे है। जेनरेटर कक्ष में जेनरेटर चेन्जओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में रहता है। जेनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुये जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
 - (स) सामान्यतया: स्टेशन मास्टर जेनरेटर सं० 1 व 2 को बदल-बदल कर चलाया जायेगा।
 - (द) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जेनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4-4 घंटे के अन्तराल में बदल-बदल कर चलाये।
 - 4) जब कामर्शियल सप्लाई आ जाये तो स्विच "ए" को कामर्शियल साइड की तरफ बदल कर लगा दे और स्विच "बी" को मध्य स्थित में कर दे तथा जनरेटर को बंद कर दिया जाये।
 - 5) जेनरेटर में डीजल आयल जब भरा जाये तो स्टेशन मास्टर आयल लाग बुक में इसका प्रविष्टि तुरन्त करे। कार्यरत स्टेशन मास्टर भी डीजल जेनरेटर के उपयोग का प्रविष्टि लाग बुक में अवश्य करें।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- 6) कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता/उपलब्धता का प्रविष्टि लाग बुक में निम्न प्रकार से करें -

क्रम सं०	तिथि	IPS को चार्ज करने का समय घंटा एवं मिनट में	कमर्शियल पावर सप्लाई विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खसपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

- 7) डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।
- 8) **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -**
आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।
- 9) **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि -**
(अ) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लियर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
(ख) यदि लाइन क्लियर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाडी चल चुकी है तथा किसी कारण वश गाडी की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को हाथ संकेत देने के लिये प्रतिनियुक्त करेगा तथा बुझे हुये सिगनल के नीचे से आने वाली गाडी के चालक को देने के लिये टी-369(3बी) भेजेगा जो गाडी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

10 दृश्यता परीक्षण लक्ष्य -

- (i) **राया छोर** - दिन व रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (ii) **मथुरा जं० छोर** - दिन व रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण - परिशिष्ट 'ड.' देखें।12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनल मैनों के नाम

कोहरे के समय फाग सिगनल मैनों के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13 परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	'क'	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट	'ख'	सिगनल और अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट	'ग'	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट	'घ'	गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट	'ड.'	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट	'च'	डी के, स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट	'छ'	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

टिप्पणी - इन नियमों को किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट “घ”

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -
- 1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण ।
 - 1.2 आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है ।
 - 1.3 कर्मचारियों को अपने कार्यों से संबंधित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना ।
 - 1.4 कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना ।
 - 1.5 समय-समय पर दिन और रात में सिगनलों, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय, तथा नियम पुस्तकों, डायरियों गाड़ी रजिस्ट्रों एवं अन्य रजिस्ट्रों-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना ।
 - 1.6 यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण ।
 - 1.7 आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव ।
 - 1.8 सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना ।
 - 1.9 यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव मार्ग और ढंग बताना ।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है ।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगे ।
- (घ) मोटर चालित कौंटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक / स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (i) (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा ।

(जे०ए०आजमी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर ओर गाडियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाडियों के संचलन से संबंधित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -

- 2.1 यार्ड, कौंटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वांछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त हाने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करे। यह भी सुनिश्चित करे कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
- 2.2 अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाडियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकार का देना तथा प्राप्त करना।
- 2.3 ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियंत्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
- 2.4 साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
- 2.5 सभी सिगनल प्रचालनों का नियंत्रण।
- 2.6 शनिटिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 2.7 जाने वाली गाडियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
- 2.8 स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
- 2.9 गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
- 2.10 कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- 2.11 जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
- 2.12 मोटर चालित कौंटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (i) (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा।

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)इज्जतनगर

3- गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत कौटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के संबंध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत कौटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये कौटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -

(क) गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शन्टिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे -

- 1) सभी स्टाप सिग्नलों के लाल शीशों का सिग्नलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
- 2) काटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कौटों को सेट एवं पाशित करना
- 3) सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है ।
- 4) दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि के समय फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देकर गाड़ी के पूरी आने जाने को सुनिश्चित करना।
- 5) कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
- 6) आवश्यकता पडने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
- 7) कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिग्नल लगाना ।
- 8) विफलता की स्थिति में उनके प्रभार में कौटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
- 9) **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना।**
- I) सिग्नल, कौटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के संबंध में ।
- II) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा हाने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है
- 10) स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनों की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना ।
- 11) स्टेशन पर वाहनों संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना ।

टिप्पणी :

विफलता की स्थिति में जब कौटे, कौटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, उनका वह पूर्ण प्रभारी होगा। वह कौटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कौटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचालन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कौटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचालन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटकवाला के कर्तव्य :-

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये विस्तृत अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट “ ड. ”स्टेशन पर आवश्यक उपकरण -

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे -

1-	हाथ सिगनल बत्ती (बैट्री चालित) के०आयल	05 04 Lcg.355Spl, 356/A हेतु
2-	हाथ सिगनल झण्डी	06 हरी तथा 07 लाल
3-	पटाखा सिगनल	50
4-	सुरक्षा जंजीरे	04 तालों सहित
5-	क्लैम्प	06 तालों सहित
6-	अग्निशामक यंत्र (डी०सी०पी० टाइप)	02
7-	फायर बकेट	06
9-	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	01
10-	लकड़ी के गुटके	04

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/32

मथुरा कैण्ट

परिशिष्ट 'च'

डी०के० स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर